न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या–15 / 2020
तारीख निर्णय– 31 / 07 / 2020

प्रार्थीगण

श्रीमती वालेट कंवर पत्नी श्री गणपतसिह आयु–62 वर्ष जाति–राजपूत, निवासी–बालराई, तहसील–रानी जिला–पाली (राज)

–: **विरूद्ध** :–

अप्रार्थी

1. सोहनसिंह पुत्र चिमनसिंह जी आयु–71 वर्ष जाति–पुरोहित निवासी–देसूरी जिला–पाली
2. पटवारी हल्का देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)
3. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार) जिला–पाली (राज)

(वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से– वकील शंकरलाल मीणा ।
2– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से –वकील भरत जे राठौड व नारायण सिंह भाटी।

निर्णय **दिनांकः– 31 / 07 / 2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम देसूरी जिला–पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 2808 रकबा 0.88 हैक्टर लगान 15.22 रूपये की खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सोहनसिंह की विद्यमान होने से प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 06.10.2017 को मोल किमतन खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था। दस्तावेज विक्रय विलेख दिनांक 06.10.2017 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 192 में पृष्ट संख्या 31 क्रम संख्या 201703193101440 पर पजीबद्ध किया गया है,जिसकी प्रमाणित पेश है।

यह है कि प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विलेख खरीद करने से प्रार्थीयां को वादग्रस्त आराजी में खातेदारी हक अधिकार निहित होकर खातेदारी की विद्यमान थी, विक्रय विलेख खातेदारी के तौर पर खरीद करने से लेकर प्रार्थीयॉ बतौर खातदेार काबिज होकर निरंतर कब्जा काश्त किया जा रहा है।

पेज लगातार 02 पर..

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2020.08.12 17:43:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि तत्कालिन समय में दस्तावेज की प्रतिलिपी तहसीलदार देसूरी के कार्यालय में पेश कर नामान्तरकरण का निवेदन किया गया था, जिसके विश्वास में रहने से जमाबंदी की नकल प्राप्त नहीं की गई थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री कृषक सहायता के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजी के भू–अधिकार अभिलेखो के खसरा संख्या 2808 मे प्रार्थीया का नाम सोहनसिंह के स्थान पर नामांतरित नही हुआ है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी खरीदने की दिनांक को प्रार्थीयॉ की जानकारी में कोई वाद विचाराधीन नहीं था, ना ही अप्रार्थी द्वारा किसी वाद के संबंध में कोई जानकारी दी गई थी। वर्तमान जमाबन्दी में न्यायालय आदेश सिविल विविध का नोट दिनांक 22.01.2019 को गलत अंकित किया गया है। जबकि इससे पूर्व प्रार्थीयॉ द्वारा वादग्रस्त आराजी को सद्भाविक रूप से खरीद कर दी गई थी। भू–अधिकार अभिलेखो में दिनांक 22.01.2019 को लगाया गया नोट प्रार्थीयॉ के हक अधिकारो के विपरीत अवैध शुन्य और निष्प्रभावी है।

यह है कि प्रार्थीयॉ महिला है और अप्रार्थीगण पुरूष होकर संख्या में अधिक होने से प्रार्थीयॉ को निहित खातेदारी हक अधिकारों की सुरक्षार्थ निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश विरूद्ध अप्रार्थीगण के जारी नहीं किया जाता है तो भू–अधिकार अभिलेखों में गलत इन्द्राज कर दिये जायेंगे। प्रार्थीयॉ को वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण द्वारा जोर जबरदस्ती बेदखल कर दिया जायेगा, प्रार्थीयॉ काश्त से वंचित हो जायेगी, अप्रार्थीगण का खाते में नाम होने से अप्रार्थीगण विशेष भूमि को आगे से आगे बेचान हस्तांतरण कर देगे, भारग्रस्त कर देंगे, कृषि को अकृषि में तब्दिल कर देगें, खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थीयॉ को अपुर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों पैसों में की जाना संभव नहीं है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीयॉ के पक्ष है।

अतः प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद गांव देसूरी तहसील–देसूरी, जिला–पाली के खसरा नम्बर 2808 रकबा 0.88 हैक्टर लगान 15.22 रूपयें में प्रार्थीयॉ को निहित खातेदारी हक अधिकारों की आराजी का बेचान हस्तांतरण या भारग्रस्त, खुर्द बुर्द नही करें, वादग्रस्त आराजी के भू–अधिकार अभिलेखों में रद्दोबदल नहीं करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण की ओर [illegible] नारायण सिंह भाटी वकालत नामा मय जबाव दिनांक 27.07.2020 को [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (3) राजस्व विविध मु0सं0– 15/2020 प्रार्थीयां – श्रीमति वॉलेट कंवर बनाम अप्रार्थीगण – सोहनसिंह व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.................

वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरहद देसूरी तहसील–देसूरी में राजस्व भूमि खसरा नम्बर 2808 रकबा 0.88 हैक्टर, अप्रार्थी सोहनसिंह के खातेदारी की अवश्य ही आई है तथा इस आराजी के अलावा खसरा नम्बर 2804 2805 2807 2812 2813 2814 2815 2816 2817 खाता सख्या 1121 की आई हुई विद्यमान है, जो आराजी प्रार्थीयॉ द्वारा खसरा नम्बर 2808 रकबा 0.88 हैक्टर कीमतन रूपये 8,00,000/– में खरीद करने का कथन असत्य, गलत व मिथ्या है। वास्तविकता में बेचान खातेदारी हकुक के दस्तावेज दिनांक 06.10.2017 में प्रतिफल की राशि रूपये 8,00,000/– वादी द्वारा जरिये चैक संख्या 002845 व 002846 आईसीआईसीआई बैक वरकाणा के अप्रार्थी सोहनसिंह को देना बताया गया है जबकि अप्रार्थी को चैक से यह राशि आज दिन तक प्राप्त नही हुई है न ही उक्त राशि प्रार्थीया के खाते में आज दिन तक नामें मांडी गई है, न ही अप्रार्थी सोहन सिंह के बैक खाता संख्या 275801000293 में जमा हुई है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बेचान द्वारा बिना प्रतिफल के प्रार्थीयॉ के प्रति गणपतसिंह व अप्रार्थी सोहनसिंह के मध्य दोस्ताना सम्बन्ध, मधुरता व संबंध होने से प्रदान किया गया था उक्त बेचान बिना प्रतिफल व बिना कब्जे के किए जाने का अप्रार्थी सोहनसिंह का यह तर्क रहा की अप्रार्थी सोहनसिंह के भाई भीकसिंह ने सिविल जज देसूरी के समक्ष दिवानी वाद संख्या 21/2014 बाबत कराये जाने संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का पेश किया व दोनों भाई सोहनसिंह व भीकसिंह के मध्य तत्समय मधुर सम्बन्ध नहीं होने के ईरादे से किया गया तथा भीकसिंह के स्वर्गवास के बाद अप्रार्थी व स्वर्गीय भीकसिंह के वारिसान ने दिनांक 04.03.2020 को जरिये राजीनामा निर्णय कराकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2808 व अन्य खसरा का आधा रकबा स्वर्गीय भीकसिंह के वारिसान सुरेन्दसिंह व अन्य व आधा हिस्सा अप्रार्थी के रखा। वास्ते सबूत के डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ पेश हैं। जैसे ही अप्रार्थी के पुत्रगण को जानकारी हुई की प्रार्थीनी के पति गणपतसिंह गेहरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुये बिना प्रतिफल दिये कब्जे आदान प्रदान किये बेचाननामा का दस्तावेज भाई–भाई के बीच चल रहें झगडा का फायदा उठाने की बदनियति से बेचाननामा बिना प्रतिफल व कब्जे के ही किया गया है तब वादी ने बेचाननाम दिनांक 06.10.2017 को निरस्त व शून्य कराने के लिए अपर जिला न्यायालय, बाली मे दिवानी वाद किया है। अतः तमाम हालात व परिस्थितियो को देखते हुये प्रार्थीया ने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थीनी व उनके पति गणपतसिंह को उपरोक्त वर्णित तमाम तथ्यो को [illegible] 2014 से [illegible] थे।

यह स्पष्ट करना भी [illegible] वाद 21/2014 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 19/[illegible]14 विवादित आराजी के मौके व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश प[illegible] किये गए व उक्त आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमशः (4) राजस्व विविध मु0सं0– 15/2020 प्रार्थीयां – श्रीमति वॉलेट कंवर बनाम अप्रार्थीगण – सोहनसिंह व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी..................

पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 22.11.2017 को भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को पालना सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किए। जिससे राजस्व अभिलेख में सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 10.11.2017 के कारण नोट अंकित किया गया। जिसकी भी जानकारी प्रार्थीयॉ को बखुबी रही हैं। वास्ते सबूत के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति पेश है।

प्रार्थीनी का यह लिखना की प्रार्थीनी द्वारा बेचाननाम दिनांक 06.10.2017 के आधार पर नामान्तरकरण हेतु तहसीलदार को उल्लेखित किया लेकिन समक्ष दिवानी न्यायालय आदेश प्रभावी होने से प्रार्थीनी के नाम नामान्तरकरण शून्य, दस्तावेज के कारण नही खोला गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीनी को आदेश दिनांक 10.11.2017 से भली भॉति रही है। व प्रार्थीनी का यह लिखना की प्रधानमंत्री कृषि सहायता के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने पर जानकारी होना कि विवादित खसरा अप्रार्थी के नाम ही है व कथन गलत है व हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2020 के विवादित आधे हिस्सा स्वर्गीय भीकसिंह के वारिसान सुरेन्द्रसिंह व अन्य को प्राप्त हुआ हैं व प्रार्थीनी शून्य दस्तावेज को आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध खातेदारी की घोषणा पाने की अधिकारी नही है जबकि विवादित आधे हिस्से के खातेदार समक्ष दिवानी न्यायालय द्वारा स्वर्गीय भीकसिंह के वारिसान को तय कर दिये गए व आधे हिस्से के खातेदार सोहनसिंह को घोषित किया गया है। जिसकी भी जानकारी प्रार्थीनी को रही है जिससे प्रार्थीनी विधिक के तहत खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

यह है कि प्रार्थीया के महिला होने से कानुन में महिला को कोई अलग से स्थान नही दिया जा सकता है। जिससे प्रार्थीयॉ का यह लिखना की महिला होने से निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है यह कथन कतई गलत है प्रार्थीनी का जिस शून्य बैचाननामा के आधार पर खातेदारी घोषणा निषेधाज्ञा वाद पेश किया है वह कानुन पोषणीय व निरस्त योग्य है जिससे प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त है।

यह है कि प्रार्थीयॉ ने अप्रार्थी के विरूद्ध कतई गलत मिथ्या व निराधार वाद पत्र बदनियति से पेश किया है जिस वाद पत्र को मजबुरन अप्रार्थी को लडना पडा हैं। उपरोक्त अभिवचन के आधार पर तमाम तथ्यो की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है फिर भी प्रार्थीनी ने महत्वपूर्ण तथ्यो को छुपाते हुए न्यायालय के समक्ष साफ व स्वच्छ हाथो से पेश नही हुई है जिससे प्रार्थीनी अप्रार्थी के विरूद्ध सदभाविक क्रेता नही होने से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने अधिकारी नही है। उक्त बेचान नामा बिना कब्जे के आदान प्रदान व प्रतिफल किए हुए होने [illegible] है व उससे प्रार्थीनी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो[illegible] किया गया दिवानी वाद संख्या 21/2014 व 19/2014 की जानकारी [illegible]यों के पति गणपत सिंह को भली भॉति जानकारी में है तथा निर्णय डिक्री दिनांक 04.03.2020 के अनुसार विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आराजी खसरा नम्बर 2808 रकबा 0.88 हैक्टर के आधे हिस्से यानि 0.44 हैक्टर खातेदार भीकसिंह के वारिसान हो गए है। बेचाननामा दिनांक 06.10.2017 कानूनी शून्य, बिना प्रतिफल होने व बिना कब्जे के आदान प्रदान होने से अप्रार्थी सोहनसिंह ने उक्त बेचाननामा दिनांक 06.10.2017 कानूनी शून्य, बिना प्रतिफल होने व शून्य करने के लिए अपर जिला न्यायालय बाली में वाद संस्थित रक दिया है जिसे भी वादीनी का वाद निरस्त योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रथम दृष्ट्या मामला मे वकील प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम देसूरी जिला–पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 2808 रकबा 0.88 हैक्टर लगान 15.22 रूपये की खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सोहनसिंह की विद्यमान होने से प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 06.10.2017 को मोल किमतन खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था। जिस बाबत पत्रावली का अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से विवादग्रस्त आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 06.10.2017 को बेचान होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उक्त विक्रय विलेख अप्रार्थी द्वारा बिना कब्जे के आदान प्रदान व प्रतिफल किए हुए होने से शून्य होने के तथ्य को बताया है उक्त तथ्य इस स्तर पर सबित नही होता है। अतः वर्तमान में पत्रावली में उपलब्ध वैध विक्रय विलेख होना प्रथम दृष्टया प्रतीत है उपरोक्त तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीयॉ अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। वकील प्रार्थीयॉ ने अपनी बहस मे कथन किया कि अप्रार्थीगण जबरदस्ती बलपूर्वक अविभाजित सयुक्त वादग्रस्त आराजी या उसके भाग को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान या अन्य को हस्तांतरण करने हेतु तत्पर है। जिसका कोई विधिक हक, अधिकार हक, अधिकार अप्रार्थीगण को नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी को ज्यादा असुविधा व [illegible] होने की पूर्ण सम्भावना रहेगी। जिससे प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है।

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश विरूद्ध अप्रार्थीगण के जारी नहीं किया जाता है प्रार्थीयॉ को वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण द्वारा जोर जबरदस्ती बेदखल कर दिया जायेगा, प्रार्थीयॉ काश्त से वंचित हो जायेगी, अप्रार्थीगण का खाते में नाम होने से अप्रार्थीगण विशेष भूमि को आगे से आगे बेचान हस्तांतरण कर देगे, भारग्रस्त कर देंगे, खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थीयॉ को अपुर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों पैसों में की जाना संभव नहीं है। जबकि अप्रार्थी ने दौराने कथन किया कि प्रार्थीयॉ द्वारा वास्तविकता में बेचान खातेदारी हकुक के दस्तावेज दिनांक 06.10.2017 में प्रतिफल की राशि रूपये 8,00,000/– वादी द्वारा जरिये चैक देना बताया गया है जबकि अप्रार्थी को चैक से यह राशि आज दिन तक प्राप्त नही हुई है न ही उक्त राशि वादीयॉ के खाते में आज दिन तक नामें मांडी गई है, न ही अप्रार्थी सोहन सिंह के बैक खाता में जमा हुई है।

इस संबंध में न्यायालय की राय में प्रार्थीयॉ द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख द्वारा खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था। तथा विक्रय विलेख की प्रति से वर्तमान समय में स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा जरिये चैक द्वारा प्रतिफल की राशि प्राप्त कि है। अतः अपूर्णनीय क्षति के संबंध में यदि अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजी को अतंरण कर दिया जाता है तो अप्रार्थी की तुलना में प्रार्थीयॉ को अधिक क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपये पैसे से नही हो सकती है। अत यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन मे मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है, जिससे इसी अनुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयॉ के पक्ष मे साबित है एवं दौराने वाद वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द आगे हस्तान्तरण किये जाने की सूरत मे प्रार्थीयॉ को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होता है जिससे न्यायालय की राय प्रार्थीयॉ का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– मौजा ग्राम देसूरी जिला–पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 2808 रकबा 0.88 हैक्टर लगान 15.22 रूपये की खातेदारी कृषि भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को सरे–इज्लास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)